उत्तर प्रदेश शासन
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग
संख्या- 1/2021/224/63-व0उ0-2021-41(एच) /2019
लखनऊरू दिनांकः 11 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश को गारमेंन्टिग हब बनाये जाने के सम्बन्ध में इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्को के स्थापना के लिये निविदा आमंत्रित करने के सम्बन्ध में RFP सूचना एवं डाक्यूमेन्ट ई-टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in तथा विभागीय वेबसाइट www.handloom.upsdc.gov.in पर उपलब्ध हो जाने के उपरान्त निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों एवं ई-दस्तावेज की स्क्रीनिंग एवं अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय (02 स्तरीय) समिति का गठन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1207/63व0उ0-2020-41(एच)/2019 दिनांक 01 दिसम्बर 2020 द्वारा किया गया था।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 दिसम्बर 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है :-

(1) - ई-दस्तावेज और ई-बिड की स्क्रीनिंग हेतु स्क्रीनिंग समिति :- (यथावत)

i-	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर।	अध्यक्ष
ii-	वित्तीय परामर्शदाता, उद्योग निदेशालय, कानपुर।	सदस्य
iii-	यू0पी0 सीडा, कानपुर द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
iv-	उप आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर।	संयोजक/सदस्य
v-	प्रोफेसर, इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट, बैंगलुरू।	टेक्निकल एक्सपर्ट
vi-	प्रोफेसर, इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ।	टेक्निकल एक्सपर्ट
vii-	निदेशक, राष्ट्रीय फैशन टेक्नालांजी संस्थान (निफ्ट), रायबरेली।	टेक्निकल एक्सपर्ट
viii-	एसोसिएट प्रोफेसर, यू0पी0 टेक्सटाइल इन्स्टीटयूट, कानपुर।	टेक्निकल एक्सपर्ट

स्क्रीनिंग समिति इच्छुक निवेशकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर प्राप्त गम्भीर निवेशकों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासकीय समिति को अग्रसारित करेगी। आवश्यकतानुसार उपरोक्त समिति टेक्निकल एक्सपर्ट को समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

(2)- ई-दस्तावेज और ई-बिड की स्क्रीनिंग के उपरान्त अनुमोदन हेतु शासकीय स्वीकृति समिति :- (संशोधित समिति)

i-	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
ii-	अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
iii-	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
iv-	अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
v-	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
vi-	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 सीडा, कानपुर।	सदस्य
vii-	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर।	संयोजक/सदस्य

3- स्क्रीनिंग समिति इच्छुक निवेशकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर प्राप्त अर्ह प्रस्तावों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासकीय समिति को अग्रसारित करेगी। शासकीय स्वीकृति समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर इच्छुक निवेशकों को इम्पैनल करने हेतु अर्ह प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान करेगी। आवश्यकतानुसार उपरोक्त समितियां निवेशकों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

4- कार्यालय ज्ञाप संख्या-1207/63व0उ0-2020-41(एच) /2019 दिनांक 01 दिसम्बर 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

पी0 के0 पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 1/2021/224(1)/63-व0उ0-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 सीडा, कानपुर।
8. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
10. उप आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
11. प्रोफेसर, इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट, बैंगलुरू।
12. प्रोफेसर, इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ।
13. निदेशक, राष्ट्रीय फैशन टेक्नालांजी संस्थान (निफ्ट), रायबरेली।
14. एसोसिएट प्रोफेसर, यू0पी0 टेक्सटाइल इन्स्टीटयूट, कानपुर।
15. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in